<u>न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाबड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,</u> <u>जिला बालाघाट(म०प्र0)</u>

<u>प्रकरण क्रमांक 415 / 08</u> <u>संस्थित दिनांक —20 / 06 / 08</u>

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना बैहर जिला बालाघाट म0प्र0

..... अभियोगी

/ / विरूद्ध / /

- 01. प्रेमसिंह मरकाम पिता परसराम, उम्र 28 वर्ष सा. गोरखपुर
- 02. राधेलाल पिता उदलसिंह, उम्र 22 वर्ष सा. गोरखपुर
- 03. गंगासिंह पिता श्यालाल तेकाम, उम्र 38 वर्ष सा. गोरखपुर
- 04. प्रेमसिंह मरावी पिता झगलूसिंह, उम्र 28 वर्ष सा. गोरखपुर
- 05. रमेशकुमार पिता सवलूसिंह, उम्र 21 वर्ष सा. गोरखपुर
- 06. सुरपतसिंह पिता जियालाल, उम्र 51 वर्ष सा. परसाटोला
- 07. सुघ्घनसिंह पिता नवलू, उम्र 28 वर्ष सा. गोरखुर
- 08. संतोषकुमार पिता मोहनलाल, उम्र 24 वर्ष सा. रजमा
- 09. जगतसिंह पिता परसराम, उम्र 28 वर्ष सा. गोरखपुर
- 10. भगतसिंह पिता परसराम, उम्र 25 वर्ष सा. गोरखपुर
- 11. रामा खरे पिता बजरू, उम्र 35 वर्ष सा. करेली
- 12. प्रेमसिंह पिता तीजूसिंह मरकाम उम्र 24 वर्ष सा. रिंगीपुर सभी थाना बैहर जिला बालाघाट म0प्र0

..... आरोपीगण

:<u>:निर्णय::</u> { <u>दिनांक **26 / 12 / 2016** को घोषित}</u>

1. अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 147, 294, 506, 427 के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 21.04.2008 को समय 12:50 बजे स्थान ग्राम करेली में एक राय होकर श्यामसिंह, सुगनबाई, सुमरतिसंह, लख्सी उईके, आत्माराम, बत्तोबाई, गिरजाबाई, श्यामाबाई का विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होकर जिसका सामान्य उदेश्य रास्ता रोककर उपहित कारित करना था, के सामान्य उदेश्य के अग्रसरण में रास्ता रोककर बल का प्रयोग किया। प्रार्थीगण को मां बहिन की

शा0 वि0 प्रेमसिंह+11

अश्लील गालियां उच्चारित कर उन्हें एवं अन्य को क्षोभ कारित किया तथा प्रार्थीगण को जान से मारने की धमकी देकर उन्हें आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा भद्दोबाई के वाहन बुलेरों क्रमांक एम.पी.20 / एच.ए.—6579 को स्वेच्छया लाठियों से मारकर 23,000 / —(तेईस हजार) रूपये की रिष्टी कारित की।

- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.04. 02. 2008 ग्राम पंचायत करेली से सरपंच पुरंताबाई के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत भवन करेली में 01.00 बजे से 03.00 बजे के मध्य मतदान था जिसमें प्रार्थी रंगलाल तथा साथी पंचगण, श्यामसिंह, सुगनबाई, सुमरतसिंह, प्रेमलाल, आत्माराम, भरत मरावी, बस्ताबाई, गिरजाबाई, श्यामाबाई को बुलेरो कमांक एम.पी.20 / एच.ए.-6579 में बैठकर बैहर से करेली जा रहे थे कि दोपहर 12:50 बजे करेली में पंचगणों को अविश्वास प्रस्ताव के मतदान में भाग लेने हेतु ग्राम पंचायत भवन न पहुंचने के उदेश्य से उपर्युक्त आरोपीगण ने मिलकर बीच सड़क पर लकड़ी का मोटा डण्डा रखकर वाहन रोका तथा प्रार्थी एवं अन्य पंचागण को मां बहिन की बुरी-बुरी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर वाहन में लगे हुए कांच की तोड़-फोड़ करते हुए प्रार्थी एवं सुमनसिंह, भरत, प्रेमसिंह के साथ मारपीट किये जिसका बीच बचाव करते समय इंदरसिंह, अंजनसिंह को चोटें आयीं। रिपोर्ट पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आहतगण का मुलाहिजा कराया गया। घटनास्थल का मौकानक्शा बनाया गया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। जप्ती एवं गिरफतारी कार्यवाही पश्चात अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
- 03. प्रकरण में आरोपीगण एवं प्रार्थीगण के मध्य राजीनामा होने से आरोपीगण को भा.दं०सं० की धारा 323 (छ:बार) के आरोप से दोषमुक्त किया गया। अभियुक्तगण ने निर्णय के चरण 01 में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द०प्र०सं० में यह प्रतिरक्षा ली है कि वह निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फसाया गया है। प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।
- 04. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न इस प्रकार है कि :--
- 01. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 21.04.08 को समय 12:50 बजे स्थान ग्राम करेली में एक राय होकर सामान्य उदेश्य के अग्रसरण में श्यामसिंह, सुगनबाई, सुमरतसिंह, लक्शी उइके, बत्तोबाई, श्यामाबाई का स्वेच्छया रास्ता रोककर उन्हें उस दिशा में जाने से निवारित किया जिस दिशा में जाने का उन्हें अधिकार था ?

- 02. क्या अभियुक्तगण उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य थे जिनका सामान्य उदेश्य उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण का रास्ता रोककर उन्हें उपहित कारित करना था तथा जमाव के सदस्य रह कर सामान्य उदेश्य के अग्रसरण में बल प्रयोग किया ?
- 03. क्या अभियुक्तगण उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर एक राय होकर भद्दोबाई के वाहन बुलेरों कमांक एम.पी.20 / एच.ए.—6579 को स्वेच्छया लाठियों से मारकर उसे 23,000 / —(तेईस हजार) रूपये की रिष्टि कारित की ?
- 04. क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर प्रार्थीगण को मां बहिन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उन्हें व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
- 05. क्या अभियुक्तगण उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण को जान से मारने की धमकी देकर उन्हें आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

ः:सकारण निष्कर्षःः

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1,2,3,4 तथा 5

- साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने तथा स्विधा हेत् उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। घटना की पृष्टि करते हुए श्यामसिंह (अ०सा०९) ने कथन किये हैं कि वह आरोपीगण तथा प्रार्थी रंगलाल को जानता है। घटना लगभग 04 वर्ष पूर्व ग्राम करेली की दोपहर एक बजे की है। उस समय अविश्वास प्रस्ताव का चुनाव था और वह पंचों के साथ कोहका वाले की गाड़ी से मत डालने जा रहा था। जिसमें सुमेरसिंह, सुगनबाई, गिरजाबाई, आत्माराम, रंगलाल, सुमरतसिंह और दो लोग बैठकर जा रहे थे। करेली में रास्ते में बड़े-बड़े पेड़ अडा दिये थे। किसने अडाये थे देखा नहीं। जैसे ही पेड को हटाने के लिए गाडी खडी किये तो प्रेमसिंह, जगत, भगत मारने लगे। सब लोग गाडी का दरवाजा खोल कर इधर उधर भागने लगे। आरोपीगण लढ, तलवार और राड से मारपीट किये थे। जिसके बाद कुछ नहीं बोले। फिर वह लोग लगभग दो—ढाई बजे जाकर मतदान किये। पुलिस ने उससे पूछताछ कर बयान लिया था। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपीगण गंदी गंदी गालियां दिये थे जो सुनने में बुरी लगी थीं। आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी दिये थे तथा बुलेरो गाड़ी के कांच की तोड़-फोड़ किये थे।
- 06. घटना की पुष्टि करते हुए सुगनबाई (अ0सा010) ने भी कथन किये हैं कि वह केवल आरोपी भगत एवं जगत को पहचानती है। शेष आरोपीगण को नहीं पहचानती है। घटना के समय वह लोग चुनाव के लिए

शा० वि० प्रेमसिंह+11

गाड़ी से गये थे। पंचगण श्यामिसंह, आत्माराम, गिरजाबाई, श्यामाबाई, बत्तोबाई सभी लोग जीप में वोट डालने गये थे। तो ग्राम पंचायत भवन से लगभग एक कि.मी. की दूरी पर लोहार के घर के सामने भीड़—भाड़ में जगत, भगत एवं गांव के लोग पत्थर फेकने लगे भाला, बरछी, सब्बल से मारने लगे जिसके बाद वह लोग वोट डालने गये और अपने—अपने घर आ गये। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण ने लठ, सब्बल से मारपीट की थी। अभियुक्तगण ने गालियां दी और जान से मारने की धमकी भी दी थी। जगत एवं भगत जान से मारने को तैयार थे।

- 07. घटना के अन्य सभी पीड़ित एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पक्षद्रोही है तथा उन्होंने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। सुमरतिसंह (अ0सा07) का कथन है कि घटना के समय पुरंताबाई के अविश्वास प्रस्ताव के बारे में मीटिंग हो रही थी जिसकी वोटिंग में पुरंताबाई जीत गयी और विपक्षी हार गये। उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं मालुम। उसने पुलिस को बयान दिया था परंतु अपने पुलिस बयान के ए से ए भाग को नहीं देना व्यक्त किया है।
- 08. लक्सी (अ०सा०८) का कथन है कि वह करेली का पंच था। उन लोगों को अविश्वास प्रस्ताव के लिए बुलेरो गाड़ी में बैटाकर पंचायत में लाये थे। अविश्वास प्रस्ताव के बाद बुलेरो गाड़ी में छोड़ दिये थे। इसके अलावा उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और न ही पुलिसवालों ने उसका कोई बयान लिया था। सूचनाकर्ता प्रार्थी रंगलाल (अ०सा०1) के अनुसार वह सभी आरोपीगण को जानता है एक वर्ष पूर्व ग्राम करेली में आरोपीगण ने उससे गाली गालोंच कर तथा मारपीट कर उसकी गाड़ी तोड़े थे उसे व अन्य लोगों को चोट पहुंचायी थी, जिसकी रिपोर्ट थाना बैहर में किया था। पुलिस ने उसका मुलाहिजा कराया था। उसने पुलिस को बयान दिया था तथा पुलिस ने जांच की थी।
- 09. आत्माराम (अ०सा०11) के अनुसार घटना के समय वह लोग मार्शल से अविश्वास प्रस्ताव के लिए पंचायत भवन जा रहे थे तथा ग्राम करेली में दो—चार लोग मारने पीटने के लिए दौड़े थे जिसके बाद वह लोग मार्शल से उतरे और पंचायत भवन चले गये। पुलिस ने पूछताछ कर घटना के संबंध में उसका बयान लिया था। आरोपीगण ने मारपीट नहीं की थी, गाड़ी की तोड़—फोड़ की थी। उसके समक्ष पंचनामा प्र.पी01 बनाया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी नहीं दी थी और न ही गाली गलीच की थी। उसके समक्ष आरोपीगण ने उसके साथ वालों में से किसी का भी रास्ता नहीं रोका और न ही मारपीट किये, उसने

शा० वि० प्रेमसिंह+11

अपने पुलिस बयान से इंकार किया है 🎊

- 10. गिरजाबाई (अ०सा०12) के अनुसार वह लोग जीप से परसाटोला से करेली ग्राम पंचायत भवन जा रहे थे। जिसमें उसके साथ श्यामिसंह, सुगनबाई, सुमरतिसंह, प्रेमलाल, आत्माराम, भरत मरावी, बत्तोबाई, श्यामाबाई आदि लोग बैठे थे। रास्ते में गोंगदु लोहार के घर के सामने लकड़ी पड़ी हुई थी जब द्वायवर ने गाड़ी रोका था। परंतु आरोपीगण ने कोई घटना नहीं की थी। साक्षी ने पुलिस को बयान देने से इंकार किया है।
- 11. घटना की पीड़ित बत्तोबाई (अ०सा०15) तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मधुकर उइके (अ०सा०14) ने घटना से स्पष्ट इंकार कर किसी भी प्रकार की जानकारी न होना व्यक्त किया है। धानुलाल (अ०सा०17) ने भी घटना से इंकार कर कथन किये हैं कि उसे दूसरे दिन पता लगा था कि पंचों के साथ किसी ने मारपीट की है। वह आहतगण के साथ नहीं था। पुलिस ने उससे पूछताछ कर कोई बयान नहीं लिया था तथा कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाया था।
- 12. शंकरलाल (अ०सा०18) के अनुसार घटना दिनांक को जब वह काम से अपने घर आया तो मार्शल गाड़ी कांच टूटी हुई हालत में खड़ी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। जप्ती साक्षी टिब्लूसिंह (अ०सा०19) ने जप्ती से स्पष्ट इंकार कर जप्ती पत्रक प्र.पी13 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर नहीं होने के कथन किये हैं। भद्दोबाई (अ०सा०13) के अनुसार लगभग पांच वर्ष पूर्व उसने अपने नाम से दर्ज वाहन बुलेरो क्रमांक एम. पी 20/एच.ए-6579 को हिफाजतनामा में लिया था क्योंकि उस वक्त वह वाहन की पंजीकृत स्वामी थी।
- 13. रिवनाथ मिश्रा (अ०सा०16) के अनुसार दिनांक 21.04.08 को उसे अपराध कमांक 44/08 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। जिसके पश्चात दिनांक 22.04.08 को उसने घटनास्थल का नजरीनक्शा प्र.पी02 रंगलाल की निशादेही पर तैयार किया था तथा उक्त दिनांक को ही घटनास्थल से बुलेरो कमांक एम.पी 20/एच.ए.-6579 जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी03 बनाया था। उक्त दिनांक को ही उक्त वाहन का नुकसानी पंचनामा प्र.पी01 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी श्यामाबाई, रंगलाल, सुमरतिसंह, लखिसंह उइके, आत्माराम, प्रेमलाल, भरत मरावी, सुमरिसंह, श्यामिसंह, सुगनबाई, गिरजाबाई, बत्तोबाई, मधुकर उइके, इंदलिसंह, उगलिसंह, गोंगरू तथा धनलाल के बयान लेखबद्ध किये थे। उसने आरोपीगण को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्र.पी4 लगयात प्र.पी15 तैयार किया था

जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के तथा बी से बी भाग पर आरोपीगण के हस्ताक्षर हैं।

- 14. घटना का समर्थन केवल श्यामिसंह (अ०सा०१) तथा सुगनबाई (अ०सा०१०) ने किया है। उक्त साक्षीगण ने प्रेमिसंह, जगत, भगत तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घटना करने के कथन किये हैं। श्यामिसंह (अ०सा०१) के अनुसार अन्य पंचगण के साथ मत डालने के लिए जाते समय रास्ते में करेली में बड़े—बड़े पेड़ अड़ा दिये थे, किसने अड़ाये थे नहीं देखे। जैसे ही पेड़ को हटाने के लिए गाड़ी खड़ी की तो प्रेमिसंह, जगत, भगत मारने लगे जिससे सब लोग गाड़ी के दखाजा खोलकर इधर—उधर भागने लगे। आरोपीगण लठ, तलवार एवं राड से मारपीट किये जिसके बाद लगभग 02:30 बजे उन लोगों ने लाकर मतदान किया पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर उक्त साक्षी ने आरोपीगण द्वारा गंदी—गंदी गालियां देना तथा जान से मारने की धमकी देना तथा बुलेरो गाड़ी का कांच तोड़ना स्वीकार किया। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने आरोपीण से वादविवाद चला आ रहा है गालियां कीन किसको दे रहा था उसने देखा नहीं।
- स्गनबाई (अ०सा०१०) के अनुसार अन्य पंचगण के साथ वोट डालने के लिए जाते समय लोहार के घर के सामने भीड़-भाड़ में गांव के लोग एवं जगत, भगत तत्थर फेंककर, भाला, बरछी, सब्बल से मारने लगे। पक्षद्रोही ६ गोषित करने पर उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है कि जगत, भगत तथा न्य लोगों ने गालियां दी थी। उसे जानकारी नहीं है कि जान से मारने की धमकी दी गयी थी या नहीं। साक्षी के अनुसार आरोपीगण जान से मारने को तैयार थे। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि कौन किसको गाली दे रहा था नहीं जानती. मारपिटायी कौन किसको कर रहा था नहीं जानती है। दोनों साक्षीगण ने घटना के संबंध में विरोधाभाषी कथन किये हैं। क्योंकि सुगनबाई (अ0सा010) ने पेड़ अडाकर गाड़ी रोकने वाली बात नहीं की है। ध ाटना के अन्य सभी आहतगण तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। गाड़ी के ड्रायवर मधुकार उइके (अ०सा०१४) ने भी घटना से इंकार किया है। जबकि वाहन मालिक भद्दोबाई (अ०सा०१३) के अनुसार जब उसने वाहन को हिफाजतनामा में लिया था तब उस समय कोई टूट-फूट नहीं थी और ना ही कोई नुकसानी थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की किसी संख्या की आवश्यकता नहीं है। तथापि श्यामसिंह (अ०सा०९) तथा सगुनबाई (अ०सा०१०) के कथन अविश्वसनीय होकर घटना को संदिग्ध बनाते हैं। आरोपीगण से किसी प्रकार के

हथियार, लाठी बगैरह जप्त नहीं है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रमाणित नहीं है। दोनों साक्षियों ने प्रेमसिंह, जगत, भगत तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्व ारा घटना करने के कथन कर शेष आरोपीगण के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। श्यामसिंह (अ०सा०९) ने अपने प्रतिपरीक्षण में आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व से चुनावी रंजिश स्वीकार की है। संभव है कि गांव में चुनावी रंजिश के चलते वर्तमान प्रकरण आरोपीगण के विरुद्ध पंजीबद्ध कराया गया हो। क्योंकि आरोपित अपराध के सबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है।

- 16. अतः अभियुक्तगण प्रेमसिंह मरकाम पिता परसराम, राधेलाल पिता उदलसिंह, गंगासिंह पिता श्यालाल तेकाम, प्रेमसिंह मरावी पिता झगलूसिंह, रमेशकुमार पिता सवलूसिंह, सुरपतसिंह पिता जियालाल, सुघनसिंह पिता नवलू, संतोषकुमार पिता मोहनलाल, जगतसिंह पिता परसराम, भगतसिंह पिता परसराम, रामा खरे पिता बजरू एवं प्रेमसिंह पिता तीजूसिंह मरकाम को भा. दं०सं० की धारा 341, 147, 294, 506, 427 के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
- 17. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।
- 18. प्रकरण में जप्तसुदा संपत्ति वाहन बुलेरो क्रमांक एम.पी20 ∕ एच.ए. −6579 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष मे उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावें।
- 19. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.) (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)